नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
के नगद भुगतान (बिना डाक
) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
ई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2008—वैशाख 5, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-01-03/2008/एक/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से., (1978) कृषि उत्पादन आयुक्त, पदेन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ , कृषि विभाग तथा प्रमुख सचिव, वन एवं सहकारिता विभाग को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुये कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, वन विभाग के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक किया जाता है.

श्री सरजियस मिंज द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम- 1954 के नियम 9 (1)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-9/दो/गृह/08.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	धनलक्ष्मी मेश्राम.	सहायक प्रबन्धक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-12/दो/गृह/08.—उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 22 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान" (पुस्तकों सहि विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. धनलक्ष्मी मेश्राम	सहायक प्रबन्धक	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-16/दो/गृह/08.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दि 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "वन विधि प्रथम प्रश्न पत्र" (बिना पुस्तकों) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को

घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री एस. जेगदीशन	डी. एफ. ओ.
2.	श्री आनन्द कुदटया	वन क्षेत्रपाल

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

3.	श्री एस. वेकटाचलम	आई. एफ. एस.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-18/दो/गृह/08.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री ध्रुव गुप्ता	आईपीएस (परिवीक्षाधीन)

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-23/दो/गृह/08.—वन विभाग के वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्नपत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राजेन्द्र कुमार सोरी	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-33/दो/गृह/08.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कु. धनलक्ष्मी मेश्राम	सहायक प्रबन्धक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-39/दो/गृह/08.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कु. सुनीता केशनवानी	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-42/दो/गृह/08.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2008 को तृतीय प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्न पत्र" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस. वेंकटाचलम	आई. एफ. एस.
2.	श्री आर. के. जांगडे	एस. एफ. एस.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-43/दो/गृह/08.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र-तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री बालमुकुन्द तम्बोली	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-44/दो/गृह/08.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री एस. जेगदीशन	आई. एफ. एस.
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री एस. वेंकटाचलम	आई. एफ. एस.

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-07/दो/गृह/08.—समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री लालसाय निराला	सहा. म. बा. वि. वि. अधि.	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-17/दो/गृह/08.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया प्रश्न पत्र-1" (बिना पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राजेन्द्र कुमार सोरी	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-19/दो/गृह/08.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. कांति पिस्दा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
2.	जोसिता तिग्गा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
3.	श्री दिलीप वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
4.	श्री अमीत कुमार साहनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय
5.	श्री आशिष सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
6.	सुश्री सुनीता सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
7.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
8.	श्री महेन्द्र कुमार धनेलिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
9.	कु. लता जलहरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
10.	श्रीमती गुलापा पुरसेठ	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
11.	श्री मुकेश कुमार त्यागी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
12.	श्री दीपक गिरि	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
13.	कु. श्वेता चंद्राकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय
14.	श्रीमती श्रद्धा सुमन वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

15.	कु. सुषमा लाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
16.	अहिल्या मिश्री	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
17.	कु. उषा किरण एक्का	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-31/दो/गृह/08.—उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नितीन कुमार खण्डूजा	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
2.	श्री राजेन्द्र नाथ तिवारी	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
3.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
4.	सुश्री सारिका बोडे	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-40/दो/गृह/08.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "लेखा द्वितीय प्रश्न पत्र" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री राजेश कुमार सोरी	वन क्षेत्रपाल
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री डी. आर. लदेर	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-2/दो/गृह/08.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री राकेश मिंज	पंजीयन लिपिक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-15/दो/गृह/08.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तकों सहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

सरल क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. जोसीता तिग्गा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
2.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
3.	श्री महेन्द्र कुमार धनेलिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
4.	सुश्री लता जलहरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
5.	श्रीमती गुलावा पुरसेठ	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
6.	श्री मुकेश कुमार त्यागी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
7.	श्री दीपक गिरि	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
8.	कु. श्वेता चंद्राकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
9.	श्रीमती सुमन वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
10.	सुश्री कांति पिश्दा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
11.	श्री दीलीप वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
12.	श्री अनिल कुमार साहनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

13.	सुश्री उषा किरण एक्का	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
14.	कु. सुषमा लाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
15.	सुश्री अहिल्या मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-27/दो/गृह/08.—सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम" (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. किरण कौशल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
2.	श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में सश्रेय
3.	कु. लीना कोसम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
4.	श्री प्रकाश कुमार सर्वे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	कु. सौम्या चौरसिया	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
6.	कु. गीता यादव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय सश्रेय
7.	तनुजा सलाम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
8.	कु. द्रोपती जेसवानी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
9.	कु. आरती वासनिक	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
10.	श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
11.	श्री आशुतोष पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
12.	श्री अश्वनी देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-34/दो/गृह/08.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती शीबा आर. देव	संचा. भौमिकी एवं खनिज	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-20/दो/गृह/08.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्रमांक (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1	श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
2.	कु. लीना कोसम	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
3.	तनुजा सलाम	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
4.	श्री प्रकाश कुमार सर्वे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
5.	श्री आशुतोष पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
6.	श्री आरती वासनिक	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-21/दो/गृह/08.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री ध्रुव गुप्ता	आईपीएस (परिवीक्षाधीन)
2.	श्री अविनाश मोहन्ती	आईपीएस (परिवीक्षाधीन)
3.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	डिप्टी एस. पी. (परिवीक्षाधीन)

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-22/दो/गृह/08.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि" प्रश्न पत्र-2 (पुस्तकों सहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	प्राप्तांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जेगदीशन एस.	डी. सी. एफ.	उत्तीर्ण
2.	श्री नवीद एस.	आई. एफ. एस.	उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

3.	श्री एस. वेंक्टाचलम	आई. एफ. एस.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-51/दो/गृह/08.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कु. सन्तन देवी जांगड़े	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कु. लीना कोसम	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
3.	कु. सौम्या चौरसिया	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
4.	कु. आरती वासनिक	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
5.	कु. तनुजा सलाम	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
6.	श्री अश्वनी देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
7.	श्री आशुतोष पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
8.	श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
9.	किरण कौशल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
10.	श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
11.	श्री अमित कटारिया	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर
12.	श्री अलेक्स पाल मेनन	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर
13.	श्री अंकित आनन्द	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

14.	श्री रजत कुमार	सहा. कलेक्टर	सश्रेय
15.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
16.	श्रीमती चन्दन संजय त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

17.	श्री बिहारी लाल जर्री	अधीक्षक	उच्चस्तर
18.	श्री छन्नुराम सलाम	सहा. अधीक्षक	निम्नस्तर
19.	श्री घनश्याम जांगड़े	क्षेत्र संयोजक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-04/दो/गृह/08.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री कांति पिस्दा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उत्तीर्ण निम्नस्तर
2.	श्री अनिल कुमार साहनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उत्तीर्ण निम्नस्तर
3.	श्री दिलीप वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उत्तीर्ण निम्नस्तर
4.	श्री अरविन्द पाण्डे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उत्तीर्ण निम्नस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

5.	सुश्री सुषमा लाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उत्तीर्ण उच्चस्तर
6.	सुश्री उषा किरण एक्का	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उत्तीर्ण उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-01/दो/गृह/08.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित) द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न पत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण उच्चस्तर से
2.	सुश्री आरती वासनिक	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण उच्चस्तर से
3.	किरण कौशल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण उच्चस्तर से
4.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण उच्चस्तर से
5.	श्रीमती पूनम शर्मा	नायब तह.	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण निम्नस्तर से
6.	श्रीमती जयश्री जैन	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण सश्रेय से
7.	श्री भुवनेश यादव	सहा. कलेक्टर	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण उच्चस्तर से
8.	सुश्री श्रुति सिंह	सहायक कलेक्टर	द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण उच्चस्तर से

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-03/दो/गृह/08.—उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राजेन्द्र नाथ तिवारी	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
2.	श्री नितिन कुमार खण्डूजा	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर
3.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ-9-08/दो/गृह/08.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 एवं 23 जनवरी 2008 को "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र भाग-बी व सी (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री श्रुति सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उत्तीर्ण सश्रेय से

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री द्रोपती जेसवानी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर, द्वितीय में सश्रेय तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री लीना कोसम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय में सश्रेय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.
4.	सुश्री आरती वासनिक	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम उच्चस्तर, द्वितीय सश्रेय एवं तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण.

निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अलेक्स पाल मेनन	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री अंकित आनंद	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री पी. दयानन्द	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री रीता यादव	डिप्टी.कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
6.	कु. सौम्या चौरसिया	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
7.	कु. तनुजा सलाम	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्री अश्वनी देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री आशुतोष पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर, द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण.
10.	श्री प्रकाश कुमार सर्वे	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ-9-08/दो/गृह/08.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी 2008 को प्रश्न पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र भाग-ए (बिना पुंस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री धनश्याम जांगडे	क्षेत्र संयोजक आदिमजाति कल्याण.	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 अप्रैल 2008

क्रमांक/841/अ-82/सन् 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खुड़मुड़ी प. ह. नं. 15	1.05	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	खुड़मुड़ी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 8/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अरईबंद प. ह. नं. 15	0.227	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	नर्मदा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2008

क्रमांक 21/अ-82/07-08/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	चिल्हाटी	26.81	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सेमराडीह जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 अप्रैल 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भंवतरा प.ह.नं. 15	0.032	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	भंवतरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	हर्राडांड़ प. ह. नं. 04	5.740	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 40 से 174 एवं हर्राडांड़ माइनर चैन क्र. 0 से 44 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	हर्राडांड़ प. ह. नं. 04	1.675	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के नांवाटोली माइनर चैन क्र. 0 से 50 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	छुरीटोली प. ह. नं. 04	1.860	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खेदाटोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 50 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	रायडीह प. ह. नं. 18	0.995	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	रायडीह व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 0 से 35 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 06/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	धनसुली प. ह. नं. 79	242	0.08	संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, पंडरी, रायपुर.	रायपुर जिले में अपरेल पार्क की स्थापना हेतु.
			243	0.28		
			244	0.34		
			245	3.97		
			246	0.06		
			250	0.97		
			254	0.37		
			256	1.20		
			257	0.97		
			259	0.85		
			242/1024	0.10		
		योग	**11**	**9.19**		

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 13/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	संकरी प. ह. नं. 111	589	0.194	संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, पंडरी, रायपुर.	रायपुर जिले में अपरेल पार्क की स्थापना हेतु.
			590, 591/8	0.328		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			591/2	0.567		
			591/4, 645, 646, 647	0.448		
			591/5, 650/1, 666/1	0.902		
			591/6	0.016		
			591/7	1.230		
			591/9-10, 670/1	2.156		
			591/11	0.809		
			591/14	0.182		
			591/15	1.061		
			591/16	0.198		
			591/17, 670/4	0.701		
			591/18, 670/5	0.725		
			591/19	1.231		
			643/1, 644	0.591		
			641/1	0.643		
			641/3	0.405		
			641/4	0.368		
			641/5	0.166		
			642/1	0.128		
			642/2	0.260		
			643/2, 643/3	0.210		
			648	0.081		
			649	0.085		
			650/2, 651, 652/1, 652/2	0.866		
			653	0.400		
			654	0.243		
			655	0.486		
			656/1	0.405		
			656/2	0.809		
			656/3	0.405		
			657	0.085		
			658	0.526		
			660	0.194		
			661/1, 662/1	0.380		
			662/2	0.111		
			662/3	0.294		
			663/1	0.180		
			663/2	0.437		
			663/3	0.765		
			663/4	0.180		
			664, 665/3	0.376		
			665/1	0.037		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			665/2	0.182		
			666/2, 667/2	0.390		
			667/1	0.088		
			668/1	0.089		
			668/2	0.202		
			669/1	0.206		
			669/2	0.206		
			669/3	0.206		
			669/4	0.206		
			669/5	0.025		
			670/2	0.121		
			670/3	0.405		
			670/6	0.202		
			670/7	0.202		
			671/1	0.396		
			671/2	0.219		
			671/3	0.227		
			671/4	1.372		
			671/5	0.405		
			672/1	0.842		
			672/2	0.214		
			673/1	0.283		
			673/2	0.275		
			674/1	0.210		
			674/2	0.117		
			674/3	0.230		
			675/1	0.174		
			675/2	0.081		
			677/1	0.065		
			677/2	0.064		
			679/1	0.292		
			679/2	0.295		
			679/3	0.141		
			679/4	0.134		
			680	0.599		
			681/1	0.101		
			681/2, 681/3	0.312		
			682	0.154		
			683/1	2.023		
			683/2	0.255		
			683/3	0.405		
			683/4	0.429		
			684/1	0.068		
			684/2	0.281		
			684/3	0.069		
			684/4	0.068		
			684/5	0.142		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			685	0.409		
			686	0.421		
			687/1	0.041		
			687/2	0.154		
			687/3	0.077		
			687/4	0.129		
			688/1	0.045		
			688/2	0.109		
			688/3	0.041		
			688/4, 689/1-4, 689/2, 689/3	0.449		
			688/5	0.222		
			688/6	0.094		
			690/1, 691/1, 698/2, 699/1	1.533		
			690/2	0.441		
			690/3, 691/3, 698/3, 699/3	0.450		
			691/2	0.194		
			692/1	0.024		
			692/2, 694/1	0.811		
			692/3, 692/4	0.227		
			692/5, 694/2	0.181		
			695/1	0.041		
			695/2	0.429		
			695/3	0.242		
			696/1	0.096		
			696/2	0.115		
			696/3	0.097		
			697/1	0.053		
			697/2	0.190		
			698/1, 699/2	0.473		
			700/1	0.268		
			700/2	0.303		
			701/1	0.096		
			701/2	0.056		
			701/3	0.113		
			701/4	0.043		
			701/5	0.064		
			701/6	0.089		
			702/1	0.101		
			702/2	0.081		
			702/3	0.113		
			703/1	0.093		
			703/2	0.134		
			703/3	0.271		
			703/4	0.081		
			704/1	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			704/2	0.363		
			705/1	0.202		
			705/2	0.170		
			706	0.517		
			707/1, 709/1	0.021		
			707/2	0.162		
			707/3, 709/6	0.243		
			707/4, 709/7	0.113		
			707/5, 709/8	0.032		
			707/6, 709/9	0.202		
			707/7, 709/10	0.008		
			707/8, 709/11	0.093		
			708	0.093		
			709/2	0.235		
			709/3	0.125		
			709/4	0.182		
			709/5	0.239		
			711/1	0.266		
			711/2	0.198		
			711/3	0.073		
			711/4	0.157		
			711/5	0.429		
			711/6	0.028		
			711/7	0.073		
			711/8	0.398		
			711/9	0.113		
			711/10	0.486		
			711/11	0.446		
			713	0.020		
			715	0.008		
			719, 720	1.615		
			723	0.016		
			724/1	0.125		
			724/2	0.626		
			724/3	0.125		
			724/4	0.125		
			724/5	0.125		
			724/6	0.125		
			725	0.656		
			726	0.117		
			727	0.121		
			728	0.186		
			729	0.186		
			730, 731, 734	6.685		
			732/1	0.031		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			732/2	0.032		
			733	0.061		
			735	0.032		
			736	0.166		
			737	0.081		
			745	0.093		
			746	0.081		
			747/1	0.166		
			747/2	0.166		
			748/1	0.054		
			748/2	0.027		
			749	0.134		
			750	0.077		
			751	0.551		
			752	0.478		
			753	0.121		
			754	0.085		
			755	0.308		
			756	0.081		
			757	0.081		
		योग	**201**	**64.069**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	गढउमरिया प. ह. नं. 23	8.906	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत ठेंगापाली वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	मिड़मिड़ा प. ह. नं. 22	5.717	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना ठेंगापाली वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सुकुलभठली प. ह. नं. 36	6.242	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	केशला प. ह. नं. 22	7.081	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तड़ोला प. ह. नं. 36	2.698	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	त्रिभौना प. ह. नं. 42	1.802	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना तेलीपाली केनाल के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ओड़ेकेरा प. ह. नं. 35	5.312	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली केनाल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़.	पुसौर	पड़िगांव प. ह. नं. 42	7.640	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सहदेवपाली प. ह. नं. 23	5.038	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना झारमुंड़ा शाखा नहर के अंतर्गत ठेंगापाली वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	उर्दना प. ह. नं. 14	9.606	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुरंगा प. ह. नं. 42	4.995	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली केनाल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	छातामुड़ा प. ह. नं. 23	4.568	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत ठेंगापाली वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2008

क्रमांक 17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिलारी, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.685 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	935/24	0.061
	935/17	0.036
	935/7	0.045
	935/6	0.077
	940/11	0.061
	940/13	0.097
	940/1	0.049
	948/4	0.105
	946/1	0.053
	948/1	0.061
	948/17	0.040
योग	11	0.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बुंदेला माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2008

क्रमांक 18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चण्डीपारा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1114/3	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चण्डीपारा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अप्रैल 2008

क्रमांक 19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2499/4	0.065
	2499/6	0.032
योग	2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 मार्च 2008

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नमना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-39.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
586	0.05	629/1	0.20
587	0.30	629/2	0.19
588	1.24	629/3	0.19
589	0.77	629/4	0.20
590	0.52	630	0.40
591	0.62	631	0.06
592	0.08	632	0.14
593	0.29	633/1	0.04
594	0.35	633/2	0.07
595	0.05	634	0.19
597	0.04	635	0.20
598	0.22	636	0.16
600	0.73	637	0.10
601/1	0.22	638	0.28
601/2	0.39	639/1	0.06
601/3	0.27	639/2	0.06
603	0.43	639/3	0.06
604	0.65	639/4	0.05
605	0.26	640	0.11
606	0.24	641	0.42
607	0.11	642/1	0.49
608	0.24	642/2	0.21
609	0.18	643	0.29
610	0.39	644	0.37
611	0.17	645	0.65
612	0.06	646	0.09
613	0.10	647	0.10
614	0.05	648	0.35
615	0.11	649	0.72
616	0.22	650	0.34
617	0.56	651	0.20
618	0.41	652	0.19
619/1	0.17	653	0.17
619/2	0.17	654	0.12
620	0.10	655	0.77
621	0.22	656	0.15
622/1	0.05	657	0.30
622/2	0.05	659	0.36
623	0.23	660	0.17
624	0.73	661	0.15
625	1.09	662	0.34
626	0.35	663	0.15
627	0.32	664	0.35
628	0.13	665	0.30
		666	0.41
		667	0.45

(1)	(2)
668/1	0.11
668/2	0.12
669	0.38
670	0.18
671	0.09
672	0.23
673	0.33
674	0.36
675	0.45
676	0.31
677	0.16
678	0.20
679	0.30
680	0.27
681	0.27
682	0.10
683	0.04
684	0.25
687	0.11
688	0.19
689/1	0.03
689/2	0.60
690	0.34
691	0.32
692	0.25
693	0.64
694	0.39
695	0.26
696	0.23
697	0.16
698	0.18
699	0.10
700	0.09
701/1	0.26
701/2	0.21
702	0.22
703	0.78
704	0.57
705	0.02
706	0.35
707	1.68
709	0.47
710	0.20
711	0.30
712	0.20
713	0.34
714	0.32
716	0.04
योग 138	39.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - 1000 मे.वा. प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर प्रेमनगर/भैयाथान, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 मार्च 2008

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रघुनाथपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-46.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.30
2	0.48
3	0.35
4/1	0.07
4/2	0.05
4/3	0.05
4/4	0.05
4/5	0.05
5	0.25
6	0.65
7	0.49

(1)	(2)	(1)	(2)
8/1	0.17	79	0.04
8/2	0.16	80	0.41
8/3	0.16	84	0.20
9/1	0.24	87	0.20
9/2	0.24	993	0.31
36	0.25	995	0.70
37	0.76	1005	1.79
38	0.08	1013	0.30
39	0.08	1015	0.18
40/1	0.25	1016	0.40
40/2	0.26	1020	0.28
41	0.26	1023	0.10
42/1	0.07	1024	0.49
42/2	0.07	1025	0.74
43	0.53	1026	0.05
51	0.23	1035	1.35
52	0.40	1036	0.17
53	0.50	1037	0.10
54	0.45	1038	0.11
55	0.40	1039	0.11
56	0.07	1040	0.33
57	0.10	1042	0.24
58/1	0.13	1044	0.74
58/2	0.10	1045	0.37
59/1	0.09	1048	0.14
59/2	0.09	1049	0.58
60	0.84	1050	0.50
61/1	0.06	1051	0.93
61/2	0.18	1055	0.25
62/1	0.07	1061	0.60
62/2	0.13	1063/1	0.23
63	0.21	1063/2	0.23
64/1	0.23	1063/3	0.15
64/2	0.22	1064/1	0.21
65/1	0.10	1064/2	0.24
65/2	0.10	1064/3	0.23
66	0.08	1064/4	0.03
67	0.11	1064/5	0.10
73/1	0.06	1069	0.50
73/2	0.14	1070	0.30
74	0.16	1075	0.81
76/1	0.02	1076	1 17
76/2	0.26	1080	1.17
76/3	0.30	1082	0.35
77	0.26	1088/1	0.03
78/1	0.27	1088/2	0.04
78/2	0.20	1089/1	0.34

(1)	(2)
1089/2	0.34
1089/3	0.34
1091	0.93
1094	0.92
1095	1.08
1100	1.38
1102	0.22
1103	0.33
1106	0.47
1107	0.33
1112	1.09
1113	0.55
1114	1.73
1117	0.84
1118	0.58
1121	0.35
1123	0.51
1132	1.50
1273	0.43
1275	0.50
1276	0.62
योग 126	46.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 1000 मे.वा. प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर प्रेमनगर/भैयाथान, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक/14/अ-82/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-बेमेतरा
  (ग) नगर/ग्राम-केंवाछी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-01.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1407/2	0.03
1434	0.03
1459	0.07
1504	0.04
1513	0.02
1562	0.41
1570	0.05
1579	0.02
1460/1	0.04
1517	0.01
1460/2	0.02
1505	0.10
1514	0.05
1569	0.01
1571	0.06
1605	0.10
1423	0.04
1578	0.04
1461	0.01
1518	0.01
1519	0.04
1567	0.05
1574	0.03
1606	0.08
1424	0.15
1458/1	0.09
1462	0.03
1512	0.13
1520	0.01
1568	0.06

(1)	(2)
1575/1	0.10
योग	1.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल माइनर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक/15/अ-82/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-केंवाछी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.13
16	0.10
30	0.06
178	0.06
105	0.10
106	0.04
115	0.03
121/2	0.04
187	0.25
542	0.09
541	0.15
18	0.01
33	0.16
54	0.12
107	0.03
85	0.18
117/1	0.79
177	0.16
243/1	0.01
116	0.03
15	0.08
17/1	0.12
34	0.02
55	0.12
57	0.01
183/1	0.01
117/2	0.02
185	0.13
245	0.10
183/2	0.05
568	0.04
19	0.08
35/1	0.12
56	0.01
84	0.07
114	0.04
118/1	0.05
186	0.03
246	0.07
योग	3.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंगपुर माइनर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.